मध्यॉंचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
प्रधान कार्यालय 4 ए गोखले मार्ग
लखनऊ

पत्र संख्या 31 /म0प्र0(वित्त)/मविविनिलि/ दिनाँक 24-05-2009

मुख्य अभियंता (वितरण)
मध्यॉंचल विद्युत वितरण निगम लि0
बरेली/लखनऊ/फैजाबाद/लेसा।

विषयः– विभिन्न कार्यो हेतु प्रशासनिक एव वित्तीय लिकेज के संदर्भ में दिशा निर्देश।

डिस्काम मुख्यालय स्तर पर आयोजित बैठकों में संज्ञान में आया है कि विभिन्न कार्यो हे प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय लिंकेज प्रदान किये जाने की प्रक्रिया में क्षेत्रीय अधिकारियों में भ्रान्ति बनी हुयी है। अतः क्षेत्रीय स्तर पर सम्पादित कराये जाने वाले/किये जा रहे विभिन्न कार्यो हे प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय लिंकेज के संदर्भ में निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किये जाते है ज तत्काल प्रभाव से लागू होंगे:–

1. वार्षिक बिजनेस प्लान वर्ष 2009–10 के अन्तर्गत अनुमोदित कार्यो जिनका वित्त पोषण शासकीय अंश पूँजी से आदेशित है, उनके सम्पादन के लिये डिस्काम मुख्यालय स्तर से अलग से किसी प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय लिंकेज की आवश्यकता नही है। इन कार्यो का सम्पादन डिस्काम मुख्यालय के पत्रांक 7601/मु0अ0(तकनीकी) दिनांक 25.06.2009, पत्रांक 7616/मु0अ0(तकनीकी) दिनांक 15.07.2009 एवं पत्रांक 7620/मु0अ0(तकनीकी) दिनांक 17.07.2009 द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं अनुमन्य धनराशि के अन्तर्गत मुख्य अभियंता (वितरण) स्तर से स्वीकृत पैकेज के अनुरूप पूर्ण किया जाना है।
2. जिन कार्यो का वित्त पोषण शासकीय अंश पूँजी से आवरित नही है अर्थात जिनके लिए वित्त पोषण की व्यवस्था वित्तीय संस्थाओं से ऋण के माध्यम से की जानी है, उनका मुख्य अभियंता (वितरण) स्तर से स्वीकृत पैकेज वित्तीय लिंकेज हेतु डिस्काम मुख्यालय को भेजा जायेगा तथा वित्तीय लिंकेज मिलने के उपरान्त ही कार्य का सम्पादन किया जायेगा।

   वार्षिक बिजनेस प्लान वर्ष 2009–10 में अनुमोदित इन कार्यो के लिये अनुमन्य धनराशि के दृष्टिगत वित्त पोषण की व्यवस्था हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थाओ से ऋण प्राप्त करने के लिये मदवार वांछित धनराशि का प्रस्ताव महाप्रबन्धक (वित्त) मध्यॉंचल विद्युत वितरण निगम लि0 से प्राप्त निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित मुख्य अभियंता वितरण क्षेत्र द्वारा डिस्काम मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।
3. जो कार्य वार्षिक बिजनेस प्लान में आवरित नही है लेकिन कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है, के अलग–अलग प्रस्ताव वरीयता के क्रम में कार्य का विवरण, अनुमानित लागत एवं पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्तुत करके प्रबन्ध निदेशक से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इन कार्यो के लिए भी मुख्य अभियंता (वितरण) स्तर से स्वीकृत पैकेज का वित्तीय लिंकेज डिस्काम मुख्यालय से प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

2........../–

4. शासन द्वारा घोषित विभिन्न योजनाओ के अन्तर्गत लक्षित कार्य जिनका वित्त पोषण उस योजना के विरूद्ध शासन से प्राप्त धनराशि से किया जाना है, उनका सम्पादन भी शासकीय अंश पूँजी से पोषित कार्यो की भाँति क्षेत्रीय मुख्य अभियंता (वितरण) स्तर से शासन द्वारा अनुमन्य/उपलब्ध धनराशि के दृष्टिगत अनुमोदित पैकेज के अनुरूप किया जायेगा। इनके लिये भी डिस्काम मुख्यालय से अलग से किसी प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय लिंकेज की आवश्यकता नही है।

5. दैवी–आपदा से क्षतिग्रस्त लाइनों, विद्युत उपकेन्द्रो एवं अन्य उपकरणों की पुर्नस्थापना/मरम्मत हेतु क्षति का सत्यापन सम्बन्धित जिलाधिकारी से कराना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी स्तर से क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों एवं उपकेन्द्रों तथा अन्य उपकरणों की पुर्नस्थापना/मरम्मत हेतु आवश्यक धनराशि की माँग राहत–आयुक्त, उ0प्र0 शासन को प्रेषित कराते हुये उसकी एक प्रति सहित पुर्नस्थापना/मरम्मत सम्बन्धी मुख्य अभियंता (वितरण) स्तर से स्वीकृत प्राकलन एवं पैकेज वित्तीय लिंकेज हेतु डिस्काम मुख्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा ताकि धन की उपलब्धता के अनुरूप वित्तीय लिंकेज डिस्काम मुख्यालय स्तर से प्रदान किया जा सके।

(भुवनेश कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

पत्र संख्या /म0प्र0(वित्त)/मविविनिलि/ तद्दिनाँक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधिशासी निदेशक, मध्याँचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
2. समस्त अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण/कार्य/भण्डार/जानपद मण्डल मध्याँचल विद्युत वितरण निगम लि0,

(भुवनेश कुमार)
प्रबन्ध निदेशक